न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 47 / 2024

श्री मनोज कुमार प्रजापत पुत्र श्री श्यामलाल प्रजापत जाति कुम्हार निवासी म.नं. 2549 / 5, तेली कुम्हार मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर (राज0) हालनिवासी– 6 / 303, एच.पी. नगर, वेस्ट माहुल रोड़, चेम्बुर, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री श्यामलाल पुत्र स्व. श्री रामकिशन, जाति कुम्हार निवासी म.नं. 2549 / 5, तेली कुम्हार मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर (राज0)
2. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री श्यामलाल जाति कुम्हार निवासी म.नं. 2549 / 5, तेली कुम्हार मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर (राज0)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 12.06.2024 पीठासीन अधिकारी (उप जिला मजिस्ट्रेट नसीराबाद) भरण पोषण अधिकरण नसीराबाद

–:आदेश :– दिनांक :– 21/1/2025

अपीलान्ट द्वार यह अपील अधीनस्थ अधिकरण उप जिला मजिस्ट्रेट नसीराबाद के आदेश दिनांक 12.06.2024, जिसमें "प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) तथा अप्रार्थी (अपीलांट) जिसमें पारित आदेश दिनांक 12.06.2024 से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये, उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील कथनो को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलार्थी नसीराबाद का स्थायी निवासी है व अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है तथा वर्तमान में मुम्बई महाराष्ट्र में मेहनत मजदूरी कर अपना व परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा जो कि परिवार का सबसे बड़ा रहा होने के कारण स्वयं के खर्चे पर स्वयं की तथा अपने दोनों भाई बहनों भाई श्री सर्वेश व बहन पूजा की शादी कर्जा ऋण करीब 40,18,000 / –रूपये लेकर की गई है जिसमें प्रत्यार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया है तथा प्रत्यार्थी ने स्वयं ने अपनी कम्पनी, सोसायटी, बैंक व प्रोविडेंट फण्ड से ऋण व कर्जा लेकर उक्त समस्त भार वहन किया गया है, जिसमें प्रत्यार्थीगण ने अपीलार्थी को यह विश्वास दिलवाया था कि भविष्य में वह अपीलार्थी से किसी प्रकार की कोई डिमाण्ड व खर्चा नहीं मांगेंगे तथा वर्तमान में अपीलार्थी अपने द्वारा लिए गये ऋण कर्जा का आज तक लगातार भुगतान किया जा रहा है तथा अपीलार्थी परिवार के भलाई हेतु ऋण प्राप्त किया था, जो

जिला कलक्टर
अजमेर

अपीलार्थी पर ही उक्त समस्त ऋण का भार आ गया, जिसका मय ब्याज भुगतान करता चला आ रहा है। प्रत्यार्थीगण की पुत्री व अपीलार्थी की बहन की शादी विवाह वर्ष 2018 का समस्त भार अपीलार्थी द्वारा ही वहन किया गया है अपीलार्थी ने अपनी कम्पनी की सोसायटी से दो लोन (ऋण) 24,88,000/– (चोबीस लाख अठ्ठयासी हजार रूपये) एक पर्सनल लोन एच.डी.एफ.सी बैक से 9,00,000/– (नौ लाख रूपये) एक गोल्ड लोन 3,00,000/–(तीन लाख रूपये) व एक डेबिट कार्ड ऑन लाईन लोन 3,30,000 रूपये (तीन लाख तीस हजार रूपये) का लिया व उक्त ऋणों की सहायता से अपीलार्थी ने स्वयं की व अपने दोनो भाई–बहन की शादी विवाह सम्पन्न करवायें, जिनकी समस्त किश्तो का भुगतान अपीलार्थी आज तक कर रहा है। ऐसे में अपीलार्थी की लगभग आय ई.एम.आई के भुगतान में व्यय हो जाती है, जिस कारण अपीलार्थी का स्वयं का भरण–पोषण करना भी दुर्भर हो रखा है। तथा वर्तमान में भी अपीलार्थी अपने द्वारा लिये गए कर्जो ऋण की किश्तों का भुगतान आज भी लगातार करता चला आ रहा है। कारणवश अपीलार्थी की शारीरिक व मानसिक स्थिति अत्यन्त खराब हो गई है तथा ऋण का भार इतना ज्यादा है कि कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि स्वयं के परिवार व बच्चो की पालन–पोषण, शिक्षा–दिक्षा यहां तक की बीमार अवस्था में इलाज कराने में जैसी स्थिति नहीं रह गयी है। प्रत्यार्थीगणो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथनों का अंकन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यार्थीगण द्वारा मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत अन्तरिम भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधिक भूल की है। प्रत्यार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय को वाद की मुख्य स्थिति से अवगत नहीं कराकर केवल मूल गुमराही में डालकर नया तथ्य प्रोविजन बताकर लाभ उठाना चाहते है, जबकि प्रत्यार्थीगण के पास पर्याप्त आय है व प्रत्यार्थीगण ने अपीलार्थी को उसके पूर्वज जो के मकान से बाहर निकाल दिया है व प्रत्यार्थीगण के पास पर्याप्त मकान सम्पत्ति है जिनसे आमदनी किराया वसूली हो रही है। प्रत्यार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है व अपनी आय आमदनी के तथ्यों को छिपा रहे है व अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य बाजार में स्थित दुकान का भी वर्णन नहीं किया है व उक्त दुकान मुख्य बाजार में रामकिशन पान वाले के नाम से चलती है जिससे प्रत्यार्थीगण को प्रतिमाह चालीस हजार रूपये की आमदनी हो रही है। प्रत्यार्थीगण के पास पर्याप्त आय है व आय के साधन उपलब्ध है, परन्तु प्रत्यार्थीगण जान बूझकर माननीय न्यायालय को गुमराह कर वास्तविक स्थिति को छिपा रखा है व अपीलार्थी अत्यन्त गरीबी की आय से निचले स्तर पर जीवन यापन कर रहा है। प्रत्यार्थीगण लोभी–लालची प्रवृत्ति के है, प्रत्यर्थीगण अत्यन्त लडाकू–झगडालू प्रवृत्ति के है तथा प्रत्यार्थीगण पूर्व से सम्पत्ति संख्या 2549 में निवास करते है व आय प्राप्त कर रहे है व आज नसीराबाद शहर के मुख्य बाजार में स्थित पान की दुकान जो कि रामकिशन पान वाले के नाम से है, जिसकी कीमत कारीबन 40–45 लाख रूपयें की है में पान की दुकान लगाकर पान विक्रय करने का व्यवसाय कर रहे है तथा उक्त पान की दुकान व पुश्तैनी मकान संख्या 2249 में भी अपीलार्थी का हक अधिकार है, परन्तु प्रत्यार्थीगण ने अपीलार्थी को उक्त दुकान व मकान के कमरे से मय पत्नी परिवार बच्चो सहित जोर जबर ताकत से मारपीट कर निकाल दिया है, तब से अपीलार्थी किराये के मकान में निवास कर रहा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों के विरूद्व जाकर जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यार्थीगण के पास उत्तम वर्ग स्थान तेली कुम्हार मौहल्ला नसीराबाद में सम्पत्ति है जो कि अत्यन्त विस्तृत लम्बी चौडी है, जिसमें पक्के पट्टीपोस 8–10 कमरे, लेट्रिंग–बाथरूम मय मार्बल

जिला कलक्टर
अजमेर

के निर्मित है, जिसकी कीमत करीबन करोडो की है, जिसमें केवल मात्र प्रत्यार्थीगण दोनों ही निवास करते है व अन्य पुत्र को भी उक्त सम्पत्ति से मारपीट लडाई–झगडा कर निकाल दिया है, जिससे 4,000/– अक्षरे चार हजार रूपये प्रतिमाह प्राप्त करते है तथा मुख्य बाजार नसीराबाद में मुख्य चौराहे पर पान की दुकान है जो कि रामकिशन पान की दुकान के नाम से प्रसिद्ध है जिससे करीबन 40–50 हजार रूपये प्रतिमाह आय हो रही है व भी आय समस्त प्रत्यार्थीगण प्राप्त कर रहे है तथा मकान व दुकान से बराबर आय की प्राप्ति प्रत्यार्थीगण को हो रही है। जबकि अपीलार्थी के पास कोई आय नहीं है, जिसमें अपीलार्थी का पर्याप्त गुजारा हो सके। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करके बडी भूल की है जिस कारण से भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है व अपीलार्थी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक था, परन्तु अपीलार्थी के सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से उक्त आदेश निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में पारित किये गये अंतरिम भरण–पोषण प्राप्ती का आदेश विधि विरूद्ध है व आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की अनदेखी करते हुए तथा तथ्यों की गंभीरता पर गौर नहीं करके अंतरिम प्रार्थना पत्र पर आदेश करके भारी भूल की है इस कारण जो आदेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने फरमाये है वह निरस्त किये जाने योग्य है। क्यूंकि अपीलार्थी की आर्थिक स्थित अत्यन्त खराब व दूषित है तथा अपीलार्थी की पर्याप्त आय नहीं होने से अपीलार्थी अपने व परिवार पत्नी, सन्तान का ही भरण–पोषण करने में असमर्थ है, अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील याचिका को स्वीकार कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 12.06.2024 को निरस्त किये जाकर अपास्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट सुनवाई दिनांक को उपस्थित नहीं आये। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 21.01.2025 को प्रार्थना पत्र वास्ते शीघ्र निस्तारण हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपजिला मजिस्ट्रेट नसीराबाद के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 29.09.2022 को प्रस्तुत जिसका उनवान श्यामलाल सीता देवी बनाम मनोज कुमार प्रजापत प्रकरण संख्या 16/2022 है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2024 को अन्तरिम भरण–पोषण आदेश करते हुए हमारे पुत्र मनोज कुमार को 5,000/– रूपये प्रतिमाह अदा करने के आदेश किये गये है परन्तु हमारे बेटे मनोज कुमार द्वारा न्यायालय के आदेशो की आज दिनांक तक पालना नहीं गई और हमे हमारे भरण–पोषण के अधिकार से वंचित किया हुआ है। श्री मनोज कुमार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम मुम्बई महाराष्ट्र में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है जिसकी लाखों रूपये मासिक तनख्वाह होने के बावजूद भी माता–पिता/पति–पत्नी/प्रार्थीगण का परित्याग किया हुआ है जिसमें हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित हो रखा है। अतः प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण कर खारिज करते हुए पत्रावली नसीराबाद उप जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर हमारे भरण–पोषण के प्रार्थना पत्र का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश प्रदान करे।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील पीठासीन अधिकारी (उप जिला मजिस्ट्रेट नसीराबाद) भरण पोषण न्यायाधिकरण नसीराबाद (अजमेर) के प्रकरण संख्या 16/2022 बउनवान श्यामलाल व अन्य बनाम मनोज पुत्र श्यामलाल निर्णय दिनांक 12.06.2024 से व्यथित होकर अपील हाजा

जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय को प्रस्तुत की गई है। अधिनियम की धारा–16(1) के प्रावधानुसार " **अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगाः परन्तु अपील पर सन्तान या नातेदार, जिससे ऐसे भरण–पोषण आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती हैं, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा।**" लिहाजा अधिनियम की उपरोक्त धारा के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की अपील अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं हैं। अतः अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 खारिज की जाती हैं एवं मूल पत्रावली अधीनस्थ अधिकरण एवं उप जिला मजिस्ट्रेट नसीराबाद को मूल परिवाद की सुनवाई हेतु प्रेषित की जाती हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/1/2025 को सरे इजलास सुनाया

न्यायालय जिला कलक्टर गया अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण, अजमेर